

DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

01 APRIL 2025

THE  HINDU

 *The Indian* EXPRESS

 Hindustan Times

UPSC (IAS/PCS) AND ALL
COMPITETIVE EXAM

 दैनिक जागरण

 जनसत्ता



ABHAY SIR



Events in News



Topic 1

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल और उससे जुड़ी सीमाएँ

Topic 2

ओडिशा स्थापना दिवस (उत्कल दिवस)

Topic 3

लियोनाइडस आधुनिक युग का नया हथिया

Topic 4

इसरो की सेमी-क्रायोजेनिक इंजन
विकास में सफलता

Topic 5

पूर्वोत्तर में AFSPA की अवधि बढ़ी

Topic 6

इंडिगो पर आयकर विभाग का 944.20 करोड़
रुपये का जुर्माना

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल और उससे जुड़ी सीमाएँ



1. राष्ट्रपति का कार्यकाल

- अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है।
- एक व्यक्ति अधिकतम दो बार (यानी कुल 8 वर्ष) के लिए राष्ट्रपति बन सकता है।


2. दो बार से अधिक राष्ट्रपति बनने पर रोक

- 22वें संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता।
- अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्रपति के अधूरे कार्यकाल को 2 वर्ष से अधिक तक पूरा करता है, तो वह केवल एक बार और राष्ट्रपति बन सकता है।



3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- पहले अमेरिका में कार्यकाल की कोई सीमा नहीं थी।
- फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट (FDR) अकेले ऐसे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने चार बार (1933-1945) चुनाव जीता।
- उनके लंबे कार्यकाल के बाद, 1951 में संविधान में संशोधन करके अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा लगा दी गई।
- अमेरिका और भारत, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन उनके संवैधानिक ढांचे और शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर हैं।



इन दोनों देशों के राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है:

1. शासन प्रणाली:

- अमेरिका: राष्ट्रपतिात्मक प्रणाली (Presidential System)
- भारत: संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)



2. राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ:

3. तुलना का सार:

- अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति का केंद्र होता है। वह सरकार का प्रमुख होता है और नीतियों को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकता है।
- भारतीय राष्ट्रपति मुख्यतः एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से सीमित होती हैं।
- भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति सरकार के प्रशासनिक कार्यों का वास्तविक संचालन करता है।



2. राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ:

विशेषता	अमेरिकी राष्ट्रपति	भारतीय राष्ट्रपति
सरकार का मुखिया	कार्यकारी प्रमुख (Executive Head)	औपचारिक प्रमुख (Ceremonial Head)
वास्तविक शक्ति	संपूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं।	वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।
कार्यपालिका पर नियंत्रण	राष्ट्रपति सरकार के सभी विभागों और नीतियों का संचालन करता है।	राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
सेना का नियंत्रण	अमेरिकी सेना का सर्वोच्च कमांडर।	नाममात्र का सर्वोच्च कमांडर, वास्तविक नियंत्रण सरकार के पास।
विधायी शक्तियाँ	संसद (कांग्रेस) को प्रभावित कर सकता है, विधेयक को वीटो कर सकता है।	संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक होती है।

2. राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियाँ:

विशेषता	अमेरिकी राष्ट्रपति	भारतीय राष्ट्रपति
आपातकालीन शक्तियाँ	सीमित आपातकालीन शक्तियाँ, संविधान द्वारा नियंत्रित	राष्ट्रीय, राज्य और वितीय आपातकाल लागू कर सकता है।
नियुक्ति शक्तियाँ	अपने मंत्रिमंडल, न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है	प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्तियाँ करता है
हटाने की प्रक्रिया	महाभियोग (Impeachment) द्वारा हटाया जा सकता है।	महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन शक्तियाँ सीमित होने के कारण यह दुर्लभ है

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।
- 2. राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग के माध्यम से होती है।
- 3. राष्ट्रपति केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या

- राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System) द्वारा किया जाता है। (सही)
- राष्ट्रपति को महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। (सही)
- राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, केवल लोकसभा द्वारा नहीं। (x गलत)

ओडिशा स्थापना दिवस (उत्कल दिवस)



Utkal
Divas

1. ओडिशा स्थापना दिवस (उत्कल दिवस)

- तारीख: 1 अप्रैल 1936
- महत्व: ओडिशा को बिहार और ओडिशा प्रांत से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था।

पृष्ठभूमि:

- यह भाषा के आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य था।
- 1912 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार और ओडिशा को एक साथ मिला दिया गया था।
- उत्कल समिति (Utkal Sammilani) ने अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया।



- **पहले मुख्यमंत्री:** विश्वनाथ दास
- **पहले राज्यपाल:** जॉन ऑस्टिन हबैक

2. ओडिशा से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स तथ्य


(A) ऐतिहासिक तथ्य

- **प्राचीन नाम:** कलिंग, उत्कल, ओड्र देश
- **कलिंग युद्ध (261 BCE):** सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया।




महान शासक:

- खारवेल (महामेघवाहन वंश) – हाथीगुंफा शिलालेख में उल्लेख मिलता है।
- सोमवंशी, गंग वंश और सूर्यवंशी शासकों का शासन।
- 13वीं सदी में कोणार्क सूर्य मंदिर (UNESCO विरासत स्थल) का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने किया।



(B) भौगोलिक तथ्य

- राजधानी: भुवनेश्वर
- महत्वपूर्ण नदियाँ: महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा
- राष्ट्रीय उद्यान: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान (टाइगर रिजर्व), भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
- झीलें: चिल्का झील (भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील), अंशुपा झील



(C) सांस्कृतिक और सामाजिक तथ्य

- ओडिशा का नृत्य: ओडिसी नृत्य (भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक)
- लोक नृत्य: गोटीपुआ, महारी, छऊ नृत्य
- प्रसिद्ध त्योहार: रथ यात्रा (पुरी जगन्नाथ मंदिर), धानु यात्रा, कार्तिक पूर्णिमा
- जनजातियाँ: कोंध, संथाल, भूमिज, सौर

(D) आर्थिक और औद्योगिक तथ्य

- खनिज संपदा: बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट
- प्रमुख उद्योग: इस्पात (राउरकेला स्टील प्लांट), एल्यूमीनियम, हैंडलूम (संबलपुरी साड़ी)
- महत्वपूर्ण बंदरगाह: पारादीप पोर्ट (भारत का प्रमुख गहरे पानी का बंदरगाह)



(E) प्रशासनिक और समसामयिक तथ्य

- लोकसभा सीटें: 21
- राज्यसभा सीटें: 10
- राजकीय पशु: सांभर
- राजकीय पक्षी: भारतीय रोलर (नीलगाय)



निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है।
- 2. उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी नदी माही है।
- 3. उड़ीसा राज्य की विधानसभा में 147 सदस्य होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या:

- उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यह सही है। (सही)
- उड़ीसा में माही नदी नहीं, बल्कि महानदी सबसे बड़ी नदी है। (x गलत)
- उड़ीसा राज्य की विधानसभा में 147 सदस्य होते हैं, यह सही है। (सही)

लियोनाइडस आधुनिक युग का नया हथिया


Result Mitra



लियोनाइडस: आधुनिक युग का नया हथियार

- लियोनाइडस एक हाई-पावर माइक्रोवेव (HPM) वेपन सिस्टम है, जिसे अमेरिकी कंपनी Epirus ने विकसित किया है। यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर सकता है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. ड्रोन स्वार्म का सामना करने में सक्षम:

- लियोनाइडस विशेष रूप से ड्रोन स्वार्म (एक साथ कई ड्रोन) को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



- यह एक ही समय में कई लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है, जो इसे पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अलग बनाता है।

2. मोबाइल और अपग्रेडेबल डिज़ाइन:

- इस सिस्टम को पिकअप ट्रक, सैन्य वाहनों और ड्रोन पर लगाया जा सकता है।
- इसका डिज़ाइन मॉड्यूलर है, जिससे इसे भविष्य में आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है।



3. काउंटर-यूएस (C-UAS) और अन्य उपयोग:

- यह सिस्टम वायु रक्षा, सीमा सुरक्षा, और सैन्य अड्डों की सुरक्षा में मदद करता है।
- यह सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि ग्राउंड व्हीकल और समुद्री जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी निष्क्रिय कर सकता है।

4. स्मार्टपावर तकनीक:

- यह सिस्टम Gallium Nitride (GaN) सेमीकंडक्टर का उपयोग करता है, जिससे यह कम बिजली में अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है।
- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से शत्रु और मित्र ड्रोन के बीच अंतर कर सकता है।



5. अमेरिकी सेना द्वारा स्वीकृत:

- 2023 में, अमेरिकी सेना ने इस सिस्टम के लिए \$66.1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया।
- इसे 2025 तक सेना के स्थायी प्रोग्राम के रूप में शामिल करने की योजना है।



निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. लेजर वेपन (Laser Weapons) में केंद्रित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे वे लक्ष्य को भौतिक संपर्क के बिना नष्ट कर सकते हैं
- 2. लेजर हथियार पारंपरिक गोला-बारूद (Ammunition) की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं
- 3. लेजर वेपन केवल वायुमंडलीय परिस्थितियों में प्रभावी होते हैं और अंतरिक्ष में इनका कोई उपयोग नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कोन-सा/से सही है/हैं?


- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या

- लेजर वेपन केंद्रित ऊर्जा (Directed Energy) का उपयोग करते हैं, जिससे वे बिना भौतिक संपर्क के लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। (सही)
- ये पारंपरिक गोला-बारूद की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, क्योंकि इन्हें पुनः लोड करने की आवश्यकता नहीं होती। (सही)
- लेजर हथियारों का उपयोग अंतरिक्ष में भी किया जा सकता है, क्योंकि वे निर्वात (vacuum) में भी कार्य कर सकते हैं। (x गलत)

इसरो की सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास में सफलता



पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA) का सफल हॉट टेस्ट

- इसरो ने तमिलनाडु के महेन्द्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में PHTA इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट किया।
- यह इंजन प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3) के सेमी-क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति देगा।

LVM3 प्रक्षेपण यान

तीन-चरणीय यान जिसमें शामिल हैं:

1. दो ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स (S200)
2. लिक्विड कोर चरण (L110)
3. हाई-थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर चरण (C25)



सेमी-क्रायोजेनिक इंजन SE2000

- 2000 kN थ्रस्ट प्रदान करने वाला इंजन।
- भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता बढ़ाएगा।
- LVM3 के मौजूदा लिक्विड कोर स्टेज (L110) को प्रतिस्थापित करेगा।
- गैर-विषाक्त और सुरक्षित प्रणोदकों (तरल ऑक्सीजन और केरोसिन) का उपयोग करता है।
- LVM3 की GTO पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन हो जाएगी।



सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास

- इससे 2000 kN थ्रस्ट वाला सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है।
- इसका उद्देश्य LVM3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना और अधिक थ्रस्ट प्रदान करना है।
- लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) अन्य केंद्रों के साथ मिलकर इस प्रणाली का विकास कर रहा है।




भारत में क्रायोजेनिक इंजन का विकास

वर्ष	घटना
1980s	भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने का प्रयास शुरू किया।
1991	रूस से क्रायोजेनिक इंजन खरीदने का समझौता, लेकिन अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया।
1994	इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने का निर्णय लिया।
2010	GSLV-D3 में पहली बार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण (असफल)।
2014	GSLV Mk-II (CE-7.5) सफलतापूर्वक लॉन्च
2017	GSLV Mk-III (CE-20) का सफल प्रक्षेपण
2023	चंद्रयान-3 मिशन में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग।

क्रायोजेनिक इंजन और भारत – UPSC हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

क्रायोजेनिक इंजन क्या है?

- क्रायोजेनिक इंजन ऐसे रॉकेट इंजन होते हैं जो अत्यंत कम तापमान (-150°C से नीचे) पर तरल ईंधन का उपयोग करते हैं।
- यह दो मुख्य प्रणोदकों (ईंधन और ऑक्सीडाइज़र) का उपयोग करता है:
- ईंधन: तरल हाइड्रोजन (LH2)
- ऑक्सीडाइज़र: तरल ऑक्सीजन (LOX)



- जब ये दोनों मिश्रित होते हैं, तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे उच्च थ्रस्ट मिलता है।

भारत में क्रायोजेनिक इंजन का विकास

- भारत ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने के लिए 1980 के दशक में कार्य शुरू किया।
- सोवियत संघ से क्रायोजेनिक तकनीक प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह संभव नहीं हो सका।
- इसके बाद, इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने का निर्णय लिया।




भारत के क्रायोजेनिक इंजन और मिशन

1. GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)

- क्रायोजेनिक इंजन से लैस भारत का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण यान।
- पहली उड़ान: 2001 (असफल), कई प्रयासों के बाद सफलता प्राप्त हुई।

2. CE-7.5 इंजन (GSLV Mk-II)

- 2014 में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।
- यह भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था।



3. CE-20 इंजन (GSLV Mk-III / LVM3)

- उच्च क्षमता वाला क्रायोजेनिक इंजन।
- चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशनों में उपयोग किया गया।
- इसरो के भविष्य के मानवयुक्त मिशनों (गगनयान) में भी इसका उपयोग होगा।

क्रायोजेनिक इंजन के लाभ

- उच्च दक्षता: अन्य रॉकेट इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
- अधिक पेलोड क्षमता: उपग्रहों को उच्च कक्षाओं में पहुंचाने में सक्षम।
- स्वदेशी तकनीक: बाहरी देशों पर निर्भरता समाप्त कर अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता।



- चुनौतियाँ और समाधान

चुनौती	समाधान
अत्यंत कम तापमान बनाए रखना	उच्च गुणवत्ता वाली इन्सुलेशन तकनीक
जटिल निर्माण प्रक्रिया	उन्नत इंजीनियरिंग और अनुसंधान
उच्च लागत	स्वदेशी विकास से लागत में कमी

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. क्रायोजेनिक इंजन ईंधन के रूप में तरलीकृत हाइड्रोजन (LH2) और ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरलीकृत ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग करता है।
- 2. क्रायोजेनिक इंजन ठोस ईंधन और द्रव ईंधन आधारित इंजनों की तुलना में अधिक दक्ष और प्रभावी होता है।
- 3. भारत पहला देश है जिसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या

- क्रायोजेनिक इंजन तरलीकृत हाइड्रोजन (LH2) और तरलीकृत ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग करता है, जो अत्यधिक ठंडे तापमान पर (-253°C तक) रखे जाते हैं। (सही)
- यह ठोस और द्रव ईंधन वाले इंजनों की तुलना में अधिक दक्ष होता है क्योंकि यह अधिक थ्रस्ट (Thrust) और उच्च ISP (Specific Impulse) प्रदान करता है। (सही)
- हालांकि, भारत ने GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, लेकिन पहला देश नहीं था। रूस, अमेरिका और फ्रांस ने पहले ही क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर ली थी। (X गलत)

पूर्वोत्तर में AFSPA की अवधि बढ़ी



AFSPA

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया।
- कारण: उग्रवाद, नृजातीय हिंसा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) क्या है?

- यह कानून "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है।
- धारा 3: राज्यपाल, केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक किसी क्षेत्र को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर सकते हैं।



सशस्त्र बलों को AFSPA के तहत अधिकार:

- बल प्रयोग का अधिकार: घातक हथियारों सहित बल प्रयोग कर सकते हैं।
- गिरफ्तारी और तलाशी: वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार या तलाशी ले सकते हैं।
- कानूनी सुरक्षा: केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सशस्त्र बलों पर मुकदमा नहीं चल सकता।



AFSPA को लेकर प्रमुख चिंताएँ:

- मानवाधिकार हनन: सुरक्षा बलों पर अत्याचार और ज्यादती के आरोप।
- राजनीतिक समाधान की कमी: सैन्य कार्रवाई स्थायी समाधान नहीं देती।
- जनता का अविश्वास: पारदर्शिता की कमी से आम नागरिकों में असंतोष।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005) की सिफारिशें:


- AFSPA को निरस्त किया जाए
- UAPA (1967) में संशोधन कर AFSPA के प्रावधानों को शामिल किया जाए



AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) – UPSC हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

परिचय

- AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) एक विशेष कानून है जो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- यह कानून 1958 में लागू किया गया था और इसे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है।




AFSPA लागू करने का उद्देश्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा: उग्रवाद और विद्रोह को नियंत्रित करना।
- कानून-व्यवस्था: नागरिक प्रशासन की सहायता करना।
- आतंकवाद विरोधी कार्रवाई: उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को अधिक शक्ति प्रदान करना।

AFSPA की मुख्य विशेषताएँ

- "अशांत क्षेत्र" घोषित करने का अधिकार:
- केंद्र सरकार, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश (UT) का प्रशासक किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर सकते हैं।



सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ:

- किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं।
- संपत्तियों की तलाशी और जब्ती कर सकते हैं।
- किसी व्यक्ति पर संदेह होने पर बल प्रयोग और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- कानूनी सुरक्षा: सशस्त्र बलों के खिलाफ बिना केंद्र सरकार की अनुमति के मुकदमा नहीं चल सकता।



AFSPA लागू क्षेत्र (2024 के अनुसार)

- मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू
- असम, मेघालय और त्रिपुरा से हटाया जा चुका है।
- जम्मू-कश्मीर में भी यह प्रभावी है।

AFSPA को लेकर विवाद और आलोचना

- AFSPA पर न्यायिक और प्रशासनिक समीक्षा

विषय	विवरण
मानवाधिकार उल्लंघन	सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़ और ज्यादतियों के आरोप।
जनता का अविश्वास	पारदर्शिता की कमी से लोगों में सेना के प्रति आक्रोश।
राजनीतिक समाधान की कमी	केवल सैन्य कार्रवाई से दीर्घकालिक समाधान संभव नहीं।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005):

- AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश
- UAPA (गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967) में संशोधन कर AFSPA जैसे प्रावधान जोड़ने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट का रुख:

- AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को मिली शक्तियों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
- फर्जी मुठभेड़ों की जांच अनिवार्य होनी चाहिए।



AFSPA हटाने के प्रयास

- पूर्वोत्तर राज्यों में चरणबद्ध ढंग से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई
- असम और मेघालय से 2018 में हटाया गया।
- मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों से 2022-23 में हटाया गया।



निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. AFSPA केवल भारतीय सेना पर लागू होता है और अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) पर नहीं।
- 2. यह कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को "अशांत क्षेत्र" (Disturbed Area) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- 3. AFSPA केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों में लागू होता है और भारत के अन्य हिस्सों में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या

- AFSPA सिर्फ भारतीय सेना पर लागू नहीं होता, बल्कि अर्धसैनिक बलों (जैसे असम राइफल्स, CRPF) पर भी लागू होता है। (X गलत)
- "अशांत क्षेत्र" घोषित करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। (सही)
- AFSPA केवल उत्तर-पूर्व में ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर और पहले पंजाब जैसे अन्य राज्यों में भी लागू किया गया था। (X गलत)

इंडिगो पर आयकर विभाग का 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना

Result Mitra



- इंडिगो (InterGlobe Aviation) को आयकर विभाग द्वारा 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- यह आदेश 30 मार्च 2025 को मिला, जो आकलन वर्ष 2021-22 से संबंधित है।
- कंपनी का कहना है कि यह आदेश गलतफहमी पर आधारित है।
- विभाग ने यह मान लिया कि कंपनी की आयकर अपील (CIT(A) के समक्ष) खारिज हो गई है, जबकि वह अभी भी लंबित है।
- इंडिगो ने इस आदेश को "त्रुटिपूर्ण और आधारहीन" बताते हुए कानूनी कदम उठाने की बात कही है।

- इसके अलावा, इंडिगो ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जुर्माने का कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मुख्य बिंदु:

- 1. जुर्माना राशि: ₹944.20 करोड़
- 2. आकलन वर्ष: 2021-22
- 3. कारण: अपील की गलत समझ
- 4. इंडिगो की प्रतिक्रिया: आदेश को चुनौती देगी
- 5. प्रभाव: वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई बड़ा असर नहीं



- इंडिगो इस फैसले के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाने की योजना बना रही है।

भारत में विमानन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख नियम और कानून निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

- यह विधेयक एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की जगह लेता है।
- उद्देश्य:– भारत को "स्टेट ऑफ डिज़ाइन" (State of Design) के रूप में स्थापित करना है, जिससे देश में विमान निर्माण और डिज़ाइन को बढ़ावा मिले।

2. एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937

- यह नियम नागरिक उड्डयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि पायलट और इंजीनियरों का लाइसेंस, विमान संचालन, सुरक्षा मानक, और विमान रखरखाव।

3. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के नियम

- विमान संचालन और एयरलाइन सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
- एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) और उड़ान सुरक्षा की निगरानी करता है।
- हवाई अड्डों और एयरलाइनों के लिए रेगुलेटरी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।



4. एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) अधिनियम, 2008

- हवाई अड्डों की सेवा शुल्क और वित्तीय विनियमन से संबंधित है।

5. राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016

- भारत के विमानन क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए बनाई गई एक व्यापक नीति।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने की पहल।

- यह नियम और कानून भारतीय विमानन क्षेत्र को सुचारु रूप से संचालित करने और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

- भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 (Bharatiya Vayuyan Vidheyak, 2024) को 31 जुलाई 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
- यह विधेयक 1934 के विमान अधिनियम (Aircraft Act, 1934) को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है और भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के नियमन से संबंधित है।



मुख्य प्रावधान:

1. नियामक संस्थाएं:

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA): विमानन सुरक्षा और विनियमन की निगरानी करता है।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS): हवाईअड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो: विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है।

2. विमान डिज़ाइन का नियमन:

- यह विधेयक विमान निर्माण, स्वामित्व, संचालन और व्यापार के अलावा उनके डिज़ाइन के नियमन को भी शामिल करता है।

3. नियम बनाने की शक्ति:

- केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में नियम बनाने की शक्ति दी गई है:
- विमान संबंधी गतिविधियों का नियमन, लाइसेंसिंग, प्रमाणन और निरीक्षण।
- हवाई परिवहन सेवाओं का नियमन।
- 1944 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित नियम बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार समझौते के तहत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाणपत्र और लाइसेंस पर नियम बनाना।



4. अपीलीय व्यवस्था:

- नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सरकार को दंड लगाने का अधिकार होगा।
- निर्णय लेने के लिए एक Adjudicating Officer नियुक्त किया जाएगा, जो भारत सरकार के उप सचिव या उससे उच्च पद का होगा।
- इसके खिलाफ अपील के लिए एक First Appellate Officer और फिर Second Appellate Officer की व्यवस्था की गई है।

5. DGCA और BCAS के आदेशों के खिलाफ अपील:

- DGCA या BCAS द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ केवल केंद्र सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है।
- केंद्र सरकार के आदेश अंतिम होंगे और इसके खिलाफ कोई आगे अपील नहीं की जा सकेगी।
- यह विधेयक भारतीय विमानन क्षेत्र को अधिक सशक्त और संगठित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
- इसके तहत न केवल सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया है, बल्कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।



भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. यह विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 को प्रतिस्थापित करता है।
- 2. यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पूरी तरह समाप्त कर एक नई विनियामक संस्था स्थापित करता है।
- 3. इस विधेयक में सुरक्षा प्रबंधन, विमान दुर्घटनाओं की जांच, और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों के अनुपालन पर ध्यान दिया गया है।

सही उत्तर विकल्प चुनें:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3



व्याख्या

- यह विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 को प्रतिस्थापित करता है और DGCA को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। इसमें सुरक्षा, दुर्घटना जांच, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के पालन को मजबूत किया गया है